स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण लेखा रिपोर्ट

मत

हमने बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) की एकल वित्तीय विवरण लेखा रिपोर्ट का लेखा परीक्षण किया है। इसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलनपत्रक (बैलेंस शीट), लाभ और हानि संबंधी विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), शेयर में परिवर्तन संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण के सारांश सहित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी शामिल है। (जिसे यहां बाद में "एकल वित्तीय विवरण कहा जाएगा")।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") के अंतर्गत निर्धारित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की, इसके हानि-लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित), शेयरों में परिवर्तन और समाप्त हुए वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति सहित वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (10) के तहत स्पष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुरूप लेखा परीक्षण कार्य पूरा किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का हमारी रिपोर्ट में **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में लेखाकार के दायित्व** खंड में वर्णन किया गया है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से जारी नीति संहिता तथा अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के लिए नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी कम्पनी एक स्वतंत्र कम्पनी है तथा हमने अपने अन्य नीतिगत दायित्वों को इन अपेक्षाओं और नीति संहिता

के अनुरूप पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी है, जो ऐसा एकल वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित हैं, जिनसे इंड एएस, और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, कम्पनी के शेयरों और नकदी प्रवाह में बदलाव की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हों।

इन दायित्वों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का प्रबंधन और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम; समुचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और लागू करना; तर्कसम्मत और ठोस निर्णय और आकलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन भी शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल कम्पनी के जारी रहने की क्षमता के आकलन और जारी रखे जाने की क्षमता को स्पष्ट करने तथा लेखा परीक्षण के लिए इसे आधार बनाने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कम्पनी को समाप्त करना या उसका संचालन बंद करना न चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाए कोई अन्य विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि एकल वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी

माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम भूल के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे सांठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और विषयवस्तु का मूल्यांकन और इस बात का भी आकलन करना कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तथा सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में अनुलग्नक-1 में विवरणी दी है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुरूप हम कम्पनी के उस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-2 में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उचित पाया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, लाभ हानि विवरण, शेयर और नकदी प्रवाह में परिवर्तन विवरणी संबंधी मामले लेखा बहियों में उपलब्ध कराए गए समाधान के अनुरूप हैं।

घ) हमारे राय में एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, और कम्पनी लेखा परीक्षा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित, लेखा परीक्षण मानकों के अनुपालन में हैं।

ङ) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार की ओर से पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप, निदेशक की अयोग्यता के बारे में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-ग में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संदर्भ में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) कम्पनी लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य बातें हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार हैं-

i. कम्पनी का कोई भी कानूनी मामला लम्बित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सके।

ii. कम्पनी के पास डेरिव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लम्बी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी भौतिक हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते
ओ पी दादू एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या 00120एन

अमित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 094202

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

अनुलग्नक बिहार **मेगा** पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में।

हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. कम्पनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के सिवाए अन्य कोई स्थाई परिसम्पत्तियां नहीं हैं। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ-3 की धारा(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
2. कम्पनी के पास कोई मालसूची नहीं है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।
4. हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने किसी निदेशक की ओर से, जैसा कि अधिनियम की धारा 185 के तहत उल्लिखित है, कोई ऋण गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है। कम्पनी ने दिए गए ऋणों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत आम लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की किसी भी गतिविधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत रिकॉर्ड की रख-रखाव लागत निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक बकाया समुचित प्राधिकरणों को नियमित जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

   (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बकाया आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धित कर के मद में भुगतान योग्य कोई भी विवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (viii) कम्पनी पर लागू नहीं होती।
9. कम्पनी ने शुरुआती पब्लिक आफर या अगले पब्लिक आफर (ऋण सहित) और सावधि ऋण के जरिए धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
10. लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।
11. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान, अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, कंपनी पर लागू नहीं होते।
12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए चूक के बारे में आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अपने सामान्य कारोबारी क्रम में दर्ज किया है। इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। हालांकि इस प्रकार के लेनदेन का ब्यौरा व्यवहार्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरण में स्पष्ट किया गया है।
14. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेनदेन नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कृते
ओ पी दादू एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या 00120एन

अमित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 094202

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक- II

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार **मेगा** पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

क्रम सं	विवरण	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हां, कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन लेखांकन को प्रक्रिया में लाने के लिए की प्रणाली है, जैसे, ओरेकल। हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार कम्पनी के पास ओरेकल में पोस्ट की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली है।
2	क्या कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता की बकाया राशि चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या छूट/माफी/ब्याज माफी दी गई है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	ऋण माफी/छूट या ब्याज में माफी/छूट का कोई मामला नहीं है। इसीलिए यह खंड लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली निधि का, इसकी शर्तों और नियमों के अनुसार समुचित लेखांकन/उपयोग किया गया? यदि	केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है/न प्राप्त की जाने वाली है। इसलिए ये खंड प्रयोज्य नहीं है।

नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।

कृते
ओ पी दादू एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या 00120एन

अमित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 094202

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक- III

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार मेगा पॉवर पॉवर लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व:

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों’ की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों’ की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, ‘परामर्श टिप्पणी’ (“गाइडेंस नोट“) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों’ की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आकलन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान

करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय:

हमारी राय में कम्पनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक कारगर ढंग से लागू थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित थे।

कृते
ओ पी दादू एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या 00120एन

अमित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 094202

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्रक

(रुपये सैकड़ों में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
(I)	**परिसम्पत्तियां**				
(1)	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	(क) पूंजी कार्य प्रगति पर	4	1,270,775.10	810,357.17	476,133.79
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) ऋण	5	3,479,609.14	3,676,653.75	3,842,829.44
	कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**4,750,384.24**	**4,487,010.92**	**4,318,963.23**

(2) **वर्तमान आस्तियां**				
(क) वित्तीय आस्तियां				
(i) नक़दी और नकदी समतुल्य	6	385.50	763.50	7,001.90
(ख) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	7	5,111.55	4,920.28	183.85
(ग) अन्य वर्तमान आस्तियां	8	63,507.68	63,507.68	-
कुल वर्तमान आस्तियां		**69,004.73**	**69,191.46**	**7,185.75**
कुल आस्तियां		**4,819,388.97**	**4,556,202.38**	**4,326,148.98**
(II) **इक्विटी और देनदारियां**				
(1) **इक्विटी**				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	5,000.00	5,000.00	5,000.00

	(ख) अन्य इक्विटी	10	(275.23)	(275.23)	(281.39)
	कुल इक्विटी		**4,724.77**	**4,724.77**	**4,718.61**
(2)	**देनदारियां**				
(A)	**गैर-वतर्मान देनदारियां**				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	11	4,731,047.07	4,475,935.34	4,246,205.98
	कुल गैर-वतर्मान देनदारियां		**4,731,047.07**	**4,475,935.34**	**4,246,205.98**
(B)	**वतर्मान देनदारियां**				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	12	45,059.83	45,059.83	50,775.03
	(ख) अन्य वित्तीय	13	38,557.30	30,482.44	24,449.63

देनदारियां				
कुल वतर्मान देनदारियां		**83,617.13**	**75,542.27**	**75,224.66**
कुल इक्विटी और		**4,819,388.97**	**4,556,202.38**	**4,326,149.25**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-3			
वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें	1-36			

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(पूर्ण चन्द्र हेम्ब्राम) **(शैली वर्मा)** **(नवीन भूषण गुप्ता)**

निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

DIN:02750881 **DIN:07935630**

DIN:00530741

इसी तारीख
की हमारी
रिपोर्ट के
अनुसार

कृते एवं की ओर से

ओ पी दादू
एंड कंपनी

(सनदी
लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 001201N)

(अमित
गुप्ता)

साझीदार

सदस्य संख्या
: 094202

स्थान :नई
दिल्ली

दिनांक :
20.05.2019

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय	14	-	8.30
कुल आय (I)		**-**	**8.30**
व्यय			
अनय व्यय		**-**	**-**
कुल व्यय (II)		**-**	**-**
कर से पहले लाभ (I- II =III)		**-**	**8.30**
कर व्यय: (IV)			
वर्तमान कर	16	-	2.14
स्थगित कर		-	-
कर के बाद शुद्ध लाभ (III - IV = V)		**-**	**6.16**

अन्य व्यापक आय		-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (V + VI =VII)		**-**	**6.16**
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII)			
प्राथमिक और न्यूनीकृत, रुपये में (10/-रुपये प्रति शेयर सममूल्य पर)	17	-	0.01

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों के साथ 1-36
संलग्न टिप्पणी देखें

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(पूर्ण चन्द्र हेम्ब्राम) **(शैली वर्मा)** **(नवीन भूषण गुप्ता)**

निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

DIN:02750881 **DIN:07935630**
DIN:00530741

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ओ पी दादू एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

(अमित गुप्ता)

साझीदार

सदस्य संख्या : 094202

स्थान :नई दिल्ली

दिनांक : 20.05.2019

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये सैकड़ों में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	-	8.30
	कार्यशील पूंजी बदलाव से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	**-**	**8.30**
	कार्यशील पूंजी में बदलावों के लिए समायोजन :		
	- अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/कमी	-	(5,715.20)
	- अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/कमी	8,074.86	6,032.81
	- अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	(63,507.68)
	प्रचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**8,074.86**	**(63,181.77)**
	आयकर भुगतान	(191.27)	(4,738.57)
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**7,883.59**	**(67,920.34)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	जारी पूंजीगत कार्य में बढ़ोतरी	(460,417.93)	(334,223.38)
	ऋण आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	197,044.61	166,175.69
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(263,373.32)**	**(168,047.69)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	ऋणों (वृद्धि)/कमी	255,111.73	229,729.36
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**255,111.73**	**229,729.36**
	नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि/(कमी)	**(378.00)**	**(6,238.67)**
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	763.50	7,001.90
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (नोट-6)	**385.50**	**763.23**
	निम्नांकित शामिल :		
	बैंकों में चालू खाते में शेष	385.50	763.50

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(पूर्ण चन्द्र हेम्ब्राम)	**(शैली वर्मा)**	**(नवीन भूषण गुप्ता)**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
DIN:02750881	**DIN:07935630**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवं की ओर से
ओ पी दादू एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
(फर्म पंजीकरण संख्या : 001201N)

(अमित गुप्ता)
साझीदार
सदस्य संख्या : 094202
स्थान :नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार मेगा पावर लिमिटेड	
(CIN:U93000DL2015GOI282653)	
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	
क. इक्विटी शेयर पूंजी	
	(रुपये सैकड़ों में)
विवरण	**राशि**
01 अप्रैल 2017 को शेष	500,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को शेष	500,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेष	500,000.00
ख. अन्य इक्विटी	
	(रुपये सैकड़ों में)
विवरण	**राशि**
प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	(281.39)
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए कुल व्यापक आय	6.16
31 मार्च, 2018 को शेष	(275.23)
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) के लिए कुल व्यापक आय	-
31 मार्च, 2019 को शेष	(275.23)
कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से	
(पूर्ण चन्द्र हेम्ब्राम) (शैली वर्मा) (नवीन भूषण गुप्ता)	
निदेशक निदेशक अध्यक्ष	
DIN:02750881 DIN:07935630 DIN:00530741	
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार	
ओ पी दादू एंड कंपनी	
(सनदी लेखाकार)	

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

1 कंपनी संबंधी जानकारी

कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 9 जुलाई 2015 को भारत सरकार के उपक्रम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमि.) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'उर्जनिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001 में स्थित है। कंपनी एक विशेष प्रयोजन संस्था है, जिसकी स्थापना बिहार राज्य में 4000 मेगावाटकी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, वन, सीआरजेड आदि वैधानिक मंजूरियों के संबंध में प्रारंभिक कार्यो में सहायता पहुंचाने के लिए की गई है।

2 सामान्य

(क) वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का आधार और अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("इंड. एएस" के रूप में संदर्भित), (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में हैं। ये "इंड. एएस" के रूप में कंपनी के प्रथम वित्तीय विवरण हैं। परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल, 2017 है।

वित्तीय वक्तव्यों में पिछले अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी के पहले इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त किए गए हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (INR) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा है।

कंपनी द्वारा पहली बार अपनाई गई छूट का विवरण टिप्पणी संख्या 33 में दिया गया है।

इन वित्तीय वक्तव्यों में राशियों को दशमलव के दो स्थान तक (जब तक कि अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो) निकटतम सौ में राउंड ऑफ किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमानों और मान्यताओं के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देयताओं से संबंधित राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों और प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उस अवधि, जिसमें अनुमान संशोधित कियेे गयेे और भविष्य में किसी भी प्रभावित अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) आय/व्यय को मान्यता

आय और व्यय (नीचे वर्णित के सिवाय) को प्रोद् भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

पीएफसी /पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए सलाहकार और पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क, को सफल बोली लगाने वाले को कंपनी हस्तांतरण के वर्ष में मान्यता दी जाती है।

(ख) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत जो अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, अचल संपत्तियों का निर्माण जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जो उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्तियां उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अन्य उधार लेने की लागत को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(ग) जारी पूंजी कार्य

निर्माण अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण / सर्वेक्षण / अध्ययन / जांच / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय और अन्य व्यय को जारी पूंजीगत-कार्य के रूप में समझा जाता है।

(घ) पूर्व अवधि व्यय

पिछली अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्व प्रभाव से ठीक किया जाता है और पूर्व अवधि में प्रस्तुत की गई राशियों के संदर्भ में तुलनात्मक राशि बहाल करते हुए त्रुटियों को उसी अविध से ठीक किया जाता है जिसमें में हुईं थी। यदि त्रुटियां आलोच्य से पूर्व वर्ष से संबंधित हैं तो वर्ष के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को पुन: वर्णित किया जाता है।

(ङ) नक़दी और नक़दी समतुल्य

नकदी में हस्तगत राशि और मांग जमा राशि शामिल है। कम्पनी लघु अवधि की सभी जमा राशियों (अधिग्रहण से तीन महीने या कम की परिपक्वता अवधि के), अत्यधिक तरलता वाले निवेश, जो नकद राशि में तुरंत बदलने योग्य हों और जिनके लिए मूल्य में परिवर्तन का जोखिम महत्वहीन हो, को नकदी तुल्य मानती है।

(च) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) को गैर नकदी प्रवृत्ति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या वर्तमान की नकद प्राप्ति या भुगतान के संग्रहण या आस्थगित अदायगी के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग कर दिया जाता है।

(छ) कराधान

आयकर व्यय में मौजूदा और आस्थगित कर शामिल है। इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब यह किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दिखाया गया हो। इस स्थिति में कर भी इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दर्शाया जाएगा।

मौजूदा कर उस वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है, जिस पर तथा पिछले वर्ष के भुगतान योग्य कर के किसी समायोजन पर रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरें या मूल रूप से लागू कर दरें प्रभावी होती हैं।

आस्थगित कर भुगतान का निर्धारण वित्तीय विवरण में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की राशि तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर पर किया जाता है। आस्थगित कर भुगतान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कानूनों या मूल रूप से लागू कानून पर आधारित कर दरों से की जाती है। आस्थगित भुगतान कर में परिसम्पत्तियां और देनदारियां समायोजन योग्य हैं, यदि मौजूदा कर देनदारियां और परिसम्पत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार हो और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

आस्थगित कर संपत्ति को सभी घटाए जाने योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक प्रभावी माना जाएगा, जहां तक कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, जिसके लिए इस अंतरका उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, जिससे संबंधित कर लाभ प्राप्त होने में कोई संशय न रहे।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अग्रसारित राशि की प्रत्येक वित्तीय के अंत में समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति के सभी हिस्सों को कवर किए जाने में कोई संशय न रहे।

(ज) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और परिसम्पत्तियां

i. यदि कम्पनी की मौजूदा देनदारी (कानूनी या तर्कसंगत) किसी पिछले कारण से हो, और इस बात की संभावना हो कि कम्पनी को इस देनदारी का समाधान करना होगा और देनदारी की राशि का विश्वसनीय आकलन करना होगा, तो संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। प्रावधान के रूप में तय की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तमाम जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा देनदारी के समाधान पर विचार के लिए सर्वोत्तम आकलन होगी। यदि किसी प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक सभी या कुछ आर्थिक लाभ किसी तीसरी पार्टी से वसूल किए जाने की आशा हो, तो प्राप्य को परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी, बशर्ते यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और इससे संबंधित राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।

ii. जहां इस बात की संभावना न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्गमन जरूरी होगा या संबंधित राशि का विश्वसनीय ढंग से आकलन नहीं हो सकेगा, तो यह देनदारी लेखांकन टिप्पणियों में तब तक आकस्मिक देनदारी मानी जाएगी, जब तक आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की आशंका समाप्त नहीं हो जाती।

iii. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण तभी किया जाता है, जब आर्थिक लाभ के अंतर-प्रवाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलनपत्रक तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें प्रबंधन के वर्तमान आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(झ) वित्तीय विलेख

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों की गणना तब होती है, जब कम्पनी वित्तीय प्रबंधों के अनुबंध प्रावधानों का एक पक्ष हो। आरंभ में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की गणना इनके अधिग्रहण या इन्हें जारी करने से संबंधित समुचित मूल्य से लेनदेन लागत के जोड़/घटाव के अनुरूप की जाती है। यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य से आंका जाता है, तो इसे लाभ और हानि विवरण में लेनदेन की लागत माना जाएगा।

i.1 वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी सामान्य खरीद या बिक्री निबटान तिथि के आधार पर मान्य और अमान्य होगी।

प्रारंभिक मान्यरता प्रदान किए जाने के बाद वित्तीय परिसम्पत्तियों का परवर्ती मूल्यांरकन, उनके वर्गीकरण के आधार पर उनकी परिशोधन लागत या उचित मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

i) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी विलेख को छोड़ कर)**

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां :
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) से परिशोधन लागत पर किया जाएगा:

• परिसम्पत्ति किसी ऐसे कारोबारी मॉडल के तहत हो, जिसका उद्देश्य अनुबंध के आधार पर नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियां रखना हो; और

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह बढ़ाती हों, जो नकद प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूल राशि तथा ब्याज (एसपीपी) भुगतान से आता हो।

ख) अन्य व्यापक आय से समुचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीओसीआई): निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओसीआई के आधार पर किया जाता है:

• व्यापार मॉडल का लक्ष्य अनुबंधगत नकदी प्राप्त करने और वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री, दोनों ही तरह से प्राप्त होता हो; और

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह बढ़ाती हों, जो मूल रूप से बकाया मूल राशि पर मूल राशि और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान से आता हो।

##

ii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि**

क) प्रारंभिक मान्यता प्रदान करने के बाद, कम्पनी परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) का निर्धारण करती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल, ऋण परिसम्पत्तियों के अलावा कुल अवधि के दौरान, अनुमानित हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ईसीएल के मापन के लिए अनिवार्यताएं समान रूप से ऋण (एफवीटीओसीआई) परिसम्पत्ति पर लागू होती है, केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब ईसीएल अन्य व्यापक आय में न जोड़ी जाए और तुलनपत्रक में शेष राशि से न घटाई जाए।

ख)ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं : यदि ऋण क्षति हुई हो या आरंभिक अनुमान की तुलना में जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, तो कम्पनी ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का मापन लाइफ टाइम ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। यदि आरंभिक अनुमान की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कम्पनी ईसीएल का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। आरंभिक आकलन के बाद से एसआईसीआर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कम्पनी तर्कसंगत और सहयोगी सूचनाओं पर विचार करती है जो बिना किसी लागत या प्रयास के उपलब्ध है। यदि कम्पनी हानि का मापन पूर्व अवधि में लाइफटाइम ईसीएल के रूप में करती है, लेकिन बाद की अवधि में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण निश्चित करती है कि आरंभिक अनुमान से कोई एसआईसीआर नहीं रहा है, तो कम्पनी फिर से 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। क्रेडिट क्षति वाली ऋण परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर होता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए यह आमतौर पर सामूहिक आधार किया जाता है किया जाता है।

ग) क्षति संबंधी नुकसान और उनकी बहाली लाभ हानि विवरण में दर्शायी गई है।

iii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों को अमान्य करना**कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को तब अमान्य करती है, जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधगत अधिकार की अवधि समाप्त हो जाती है या जब कम्पनी किसी दूसरी पार्टी को वित्तीय परिसम्पत्ति, स्वामित्व और इससे संबंधित जोखिम हस्तांतरित कर देती है। वित्तीय परिसम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने पर, परिसम्पत्ति की मौजूदा राशि तथा प्राप्त और प्राप्ति योग्य राशि का जोड़ जिसे अन्य व्यापक आय में दिखाए गया था और इक्विटी में जमा लाभ या हानि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है, यदि ऐसे लाभ या हानि को वित्तीय परिसम्पत्ति समाप्त किए जाने समय लाभ हानि विवरण में न दर्शाया गया हो।

i.2 वित्तीय देनदारियां

i) डेरिवेटिव और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के अलावा सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ईआईआर वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक मान्यता पर निर्धारित की जाती है। ईआईआर को बाद में संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, निर्धारित तारीख पर अस्थायी ब्याज दर वाली वित्तीय देनदारियों के लिए अद्यतन

किया जाता है।

ii) वित्तीय देनदारियों को अमान्य करना

कंपनी वित्तीय देनदारियों को अमान्य केवल तब करती है, जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, वे निरस्त हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। वित्तीय देयता की वहन राशि और विचाराधीन भुगतान और देय राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(ञ) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय अर्जित करने के लिए माने जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

4. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
प्रारंभिक पूंजी कार्य प्रगति पर	810,357.17	476,133.79	476,133.79
जोड़ें : निर्माण अवधि (नोट 11) के दौरान हुए व्यय से अनंतरित	460,417.93	334,223.38	-
	1,270,775.10	**810,357.17**	**476,133.79**

5. ऋण (गैर मौजूदा)

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
असुरक्षित, अच्छे समझे गए ऋण (परिशोधित लागत पर)			
संबंधित पक्ष को अग्रिम	2,868,689.95	3,256,813.98	3,616,403.44
प्रोदभूत ब्याज लेकिन संबंधित पक्ष से देय नहीं (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड)	610,919.19	419,839.77	226,426.00
	3,479,609.14	**3,676,653.75**	**3,842,829.44**

6.नकदी और नकदी समतुल्य

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019	As at March 31, 2018	01 अप्रैल, 2017 को
बैंकों में शेष:			
चालू खाते में	385.50	763.50	7,001.90

	385.50	**763.50**	**7,001.90**

7. वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019**	**31 मार्च, 2018**	**01 अप्रैल, 2017 को**
-			
पूर्व अदा किया गया आय कर	5,111.55	4,922.42	209.85
घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान	-	2.14	26.00
	5,111.55	**4,920.28**	**183.85**

8. अन्य वर्तमान आस्तियां

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019**	**31 मार्च, 2018**	**01 अप्रैल, 2017 को**
असुरक्षित, अच्छे समझे गए			
वसूली योग्य अग्रिम	63,507.68	63,507.68	-
	63,507.68	**63,507.68**	**-**

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां

9. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
अधिकृत शेयर पूंजी			
प्रत्येक रु. 10 मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर, (31 मार्च, 2018: 50,000; 01 अप्रैल, 2017: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी में शामिल :			
प्रत्येक रु. 10 मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर, (31 मार्च, 2018: 50,000; 01 अप्रैल, 2017 को पूर्ण चुकता: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00

	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**	

(i) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**		**31 मार्च, 2018 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**राशि**	**धारित शेयरों की संख्या**	**राशि**
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और

पाबंदियां :

कम्पनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निर्देशक मंडल से प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित है, केवल अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़ कर। परिसमापन की स्थिति में शेयर होल्डर सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iii) होल्डिंग कम्पनी के पास इक्विटी शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
31 मार्च, 2019 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
01 अप्रैल, 2017 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरहोल्डर के शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**		**31 मार्च, 2018 को**		**01 अप्रैल, 2017 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**
चुकता पूंजी						
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और इसके नामितियों के पास हैं

10. अन्य आय

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
प्रतिधारित आय			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(275.23)	(281.39)	(281.39)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	6.16	-
वर्ष के अंत में शेष	**(275.23)**	**(275.23)**	**(281.39)**

11. उधारी (गैर वर्तमान)

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
<u>परिशोधित लागत पर</u>			
अग्रिम प्रतिबद्धता (असुरक्षित)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
उधारी पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज	722,338.21	468,262.68	239,431.77
उधारी पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज (संबंधित पार्टी) (पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	8,708.86	7,672.66	6,774.21
	4,731,047.07	**4,475,935.34**	**4,246,205.98**

उधारी चुकाने की शर्तें : सफल नीलामीकर्ता को कम्पनी के हस्तांतरण की तिथि से 15 दिन के भीतर भुगतान योग्य

12. अन्य वित्य देयताएं (गैर-मौजूदा)

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
मौजूदा - प्रतिशोधित लागत पर			
भुगतान योग्य व्यय	45,059.83	45,059.83	50,775.03
	45,059.83	**45,059.83**	**50,775.03**

13. अन्य मौजूदा देयताएं (मौजूदा)

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
वैधानिक बकाया	38,557.30	30,482.44	24,449.63
	38,557.30	**30,482.44**	**24,449.63**

14. अन्य आय

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	8.30
	-	**8.30**

15. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लेखा परीक्षा शुल्क	413.00	413.00

प्रिंटिंग और स्टेश्नरी	2,944.22	2,418.98
दौरा और यात्रा व्यय	1,717.66	2,125.26
कार्मिक प्रभार	273,430.81	174,435.78
आउट सोर्सिंग पर व्ययय	31,798.07	39,812.75
विविध व्यय	-	150.32
वाहन चालक व्यय	6,122.03	3,796.96
टेलिफोन व्यय	1,519.24	1,785.46
कानूनी, व्यावसायिक और परामर्शी प्रभार	33,102.40	37,109.69
प्रशासनिक व्यय	17,298.86	15,356.34
उपजोड़ व्यय (ए)	**368,346.29**	**277,404.54**
<u>ब्याज व्यय</u>		
प्रयुक्त	92,071.64	56,818.84
अप्रयुक्त	191,270.69	198,336.17
घटाएं : अप्रयुक्त हिस्से पर पीएफसी से प्राप्य ब्याज	(191,270.69)	(198,336.17)
उप'जोड़ (ख)	**92,071.64**	**56,818.84**
जोड़ (क+ख)	**460,417.93**	**334,223.38**

16. आयकर

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
मौजूदा कर		
मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	-	2.14
आस्थगित कर		
मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	-	-
मौजूदा वर्ष में दर्शाया गया कुल आय कर व्यय	**-**	**2.14**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को निम्नानुसार लेखा लाभ में मिलान किया जा सकता है :		
कर पूर्व लाभ	-	8.30
व्यवहार्य कर दर	26.00%	25.75%
संगणित कर व्यय	-	2.14
लाभ और हानि में दर्शाया गया आय कर व्यय	**-**	**2.14**

17.प्रति शेयर आय

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
प्रति शेयर प्राथमिक और तनुकृत आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00
कर अदा करने के बाद लाभ एवं हानि विवरण में इक्विटी शेयर धारकों के दर्शाया गया शुद्ध लाभ/(हानि)	-	6.16
प्राथमिक ईपीएएस की गणना के लिए डिनोमिनेटिड के रूप में लिए इस्तेमाल इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या मूल्य	50,000.00	50,000.00
प्राथमिक और तनुकृत आय प्रति शेयर	-	0.01
कम्पनी द्वारा कोई तनुकृत विलेख जारी नहीं किया गया।		

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां

1 20. वित्तीय विलेख

(1) पूजी प्रबंधन

कम्पनी अपना पूंजी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करती है कि वह बिहार परियोजना के तहत 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि सहित अन्य प्रारंभिक कार्यों की वैधानिक मंजूरी से संबंधित व्यय के लिए पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। कम्पनी प्रतिबद्धता के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि से अपना परिचालन संबंधी व्यय पूरा करती है।

कम्पनी बाहर से आरोपित पूंजी आवश्यकता के लिए अधीन नहीं है

कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की जाती हैं। कोष संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।

(i) वित्तीय विलेखों की श्रेणियां

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**1 अप्रैल, 2017 को**
<u>**परिशोधित लागत पर दर्ज**</u>			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			

नकदी और बैंक शेष	385.50	763.50	7,001.90
ऋण	3,479,609.14	3,676,653 .75	3,842,829 .44
वित्तीय देयताएं			
उधारी	4,731,047.07	4,475,935 .34	4,246,20 5.98
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	45,059.83	45,059.83	50,775.03

(ii) वित्ती जोखिम प्रबंधन के लक्ष्य

कम्पनी की कॉर्पोरेट ट्रेजरी (कोषागार) का कार्य जोखिमों की तीव्रता और आशंकाओं का विश्लेषण कर कम्पनी की परिचालन संबंधी वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करना है। इन जोखिमों में बाजार संबंधी जोखिम, (मुद्रा संबंधी, ब्याज और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), ऋण और नक़दी संबंधी जोखिम शामिल हैं।

(iii) बाजार जोखिम

कम्पनी की गतिविधियां इसके लिए मुख्य रूप से ब्याज दर में बदलाव संबंधी वित्तीय जोखिम उत्पन्न करती हैं। (नीचे नोट v देखें)।

बाजार जोखिमों का मापन संवेदी विश्लेषण के जरिए किया जाता है

कम्पनी के बाजार संबंधी जोखिमों की आशंका या उन तरीकों में, कोई बदलाव नहीं रहा है जिनके द्वारा इन जोखिमों का मापन और प्रबंधन किया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में कारोबार नहीं किया है।

(v) ब्याज दर और जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के लिए ब्याज दर जोखिम की आशंका है, क्योंकि यह समय समय पर (ब्याज दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित), स्टेट सेक्टर उधारीकर्ता (श्रेणी 'ए') के तहत निर्धारित ब्याज दर पर उधार लेती है। वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों के लिए ब्याज दर से संबंधित जोखिम का विस्तृत ब्यौरा इस नोट के तरलता जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है.

(vi) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में डेरिव्हेटिव और नॉन डेरिवेटिव उपायों के लिए ब्याज दर की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। फ्लोटिंग रेट देयताओं के लिए विश्लेषण यह मान कर किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देनदारी राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि या कमी का उपयोग तब किया जाता है, जब ब्याज दर जोखिम, आंतरिक रूप से प्रमुख प्रबंधनकर्मियों और ब्याज दरों में संभावित तर्कसंगत बदलाव के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है।

ब्याज और अन्य परिवर्ती कारकों में 50 आधार अंकों के उतार चढ़ाव के लिए किया गया संवेदनशीलता विशलेषण नीचे दिया गया है :

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
लाभ या हानि पर असर	-	-

अन्य व्यापक आय पर असर	-	-

मौजूदा वर्ष के दौरान ब्याज दरों के प्रति कम्पनी की संवेदनशीलता में कमी मुख्य रूप से परिवर्तनीय दर ऋण उपायों में कमी के कारण और ब्याज दरों में बढ़ोतरी फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को स्थायी दर वाले ऋण में बदलने से हुई है।

(vii) मूल्य संबंधी अन्य जोखिम

कम्पनी मूल्य संबंधी किसी जोखिम से नहीं जुड़ी है, क्योंकि उसने कोई निवेश धारण नहीं किया है।

(viii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जब प्रतिपक्ष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करे, जिससे कम्पनी को वित्तीय हानि होती हो। कम्पनी के समक्ष ऐसी आशंका बहुत ही सीमित है, क्योंकि उसे पीएफसी से राशि प्राप्त होती है, जैसा कि टिप्पणी 5 में उल्लिखित है। कम्पनी के पास व्यापार प्राप्तियां नहीं होतीं। ऋण प्राप्तियां इसकी होल्डिंग कम्पनी (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन) के माध्यम से होती हैं। कम्पनी के बैंक अधिशेष जाने-माने और विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास है, जिसकी वजह से प्रतिपक्षो से जोखिम आशंका काफी सीमित है।

(ix) तरलता जोखिम प्रबंधन

कम्पनी तरलता या नकदी प्रवाह संबंधी जोखिमों का प्रबंधन पर्याप्त रिजर्व रख कर और अनुमानों तथा वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी कर और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों

की परिपक्वता प्रोफाइल की तुलना कर करती है।

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**अग्रेषित राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
उधारी	4,731,047.07	-	-	-	4,731,047.07	4,731,047.07
अन्य वित्तीय देनदारियां	45,059.83	45,059.83	-	-	-	45,059.83

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	अग्रेषित राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
उधारी						
	4,475,935.34	-	-	-	4,475,935.34	4,475,935.34
अन्य वित्तीय देनदारियां	45,059.83	45,059.83	-	-	-	45,059.83

यह तालिका 1 अप्रैल, 2017 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	अग्रेषित राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
वित्तीय देयताएं						

उधारी	4,246,205.98	-	-	-	4,246,205.98	4,246,205.98
अन्य वित्तीय देनदारियां	50,775.03	50,775.03	-	-	-	50,775.03

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**अग्रेषित राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
ऋण	3,479,609.14	-	-	-	3,479,609.14	3,479,609.14

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	अग्रेषित राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
ऋण						
	3,676,653.75	-	-	-	3,676,653.75	3,676,653.75

यह तालिका 1 अप्रैल, 2017 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	अग्रेषित राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि निर्दिष्ट नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह
ऋण						
	3,842,829.44	-	-	-	3,842,829.44	3,842,829.44

(x) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मुल्य :
(रुपये सैकड़ों में)

विवरण		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को		1 अप्रैल, 2017 को	
	श्रेणीबद्धता	अग्रेषित	उचित	अग्रेषित	उचित	अग्रेषित	उचित

	अनुसार उचित मूल्य	राशि	मूल्य	राशि	मूल्य	राशि	मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
नकदी और नक़दी समतुल्य	Level 3	385.50	385.50	763.50	763.50	7,001.90	7,001.90
ऋण	Level 3	3,479,609.14	3,479,609.14	3,676,653.75	3,676,653.75	3,842,829.44	3,842,829.44
वित्तीय देयताएं							
उधारी	Level 3	4,731,047.07	4,731,047.07	4,475,935.34	4,475,935.34	4,246,205.98	46,205.98
अन्य वित्तीय देयताएं	Level 3	45,059.83	45,059.83	45,059.83	45,059.83	50,775.03	),775.03

वित्तीय विवरणों में मौजूदा राशि के लगभग वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य दर्शाया गया है। वर्ष में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मौजूदा राशि का मापन इंड एएस में परिशोधित लागत पर किया गया है। यह मापन उनके उचित मूल्य के लगभग निकट है, क्योंकि कम्पनी यह नहीं मानती कि मौजूदा मूल्य और संभावित प्राप्ति या तय मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर होगा।

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

(CIN:U93000DL2015GOI282653)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां

19 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

19.1 संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण:

क्र.स.	**पार्टी का नाम और संबंध**	**संबंध का स्वरूप**	
1	पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन	होल्डिंग कम्पनी	
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
3	छत्तीसगढ़ सरगूज़ा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
4	कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
6	ओडिसा इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
7	कोस्टल तमिलनाडू पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
8	घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पावर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
9	तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
10	साखीगोपाल पावर इंटिग्रेटिड कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
11	देवघर मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
12	ओडिसा इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
13	चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
14	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
15	बिहार इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
16	झारखंड इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
18	टांडा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
19	महिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
20	साउथ सेन्ट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
21	शोंगटोंग कर्चम वांगटू ट्रांसमशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
22	बीजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
23	वापी -II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
24	लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
25	भुज -II ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
26	फतेहगढ़ -II ट्रांसको लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	
27	बीकानेर-खेतडी ट्रांसमिशन लिमिटेड	साझा नियंत्रण के अंतर्गत उद्यम	

19.2 कम्पनी के मुख्य प्रबंधनकर्मी होल्डिंग कम्पनी पीएफसी के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं। उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.स.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पद छोड़ने की तारीख
1	श्री नवीन भूषण गुप्ता	अध्यक्ष	09.07.2015	जारी
2	श्री योगश जुनेजा	निदेशक	09.07.2015	जारी
3	श्री पी सी हेमब्रम	निदेशक	13.10.2017	जारी
4	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	16.09.2016	जारी
5	श्री राजू लक्षमणन*	निदेशक	16.05.2017	जारी
	सुश्री शैली वर्मा	निदेशक	13.10.2017	जारी

* बिजली खरीदने वाले राज्यों से

19.3 लेनदेन का ब्यौरा :

19.3.1 संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेषः

(₹ in Hundreds)

विवरण	**Year ended March 31, 2019**	**Year ended March 31, 2018**
<u>पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होल्डिंग कंपनी</u>		
ब्याज व्यय	1,036.20	898.45
ब्याज आय	191,270.69	198,336.17
<u>पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, सहायक कंपनी</u>		
कार्मिक शुल्क	273,430.81	174,435.78
व्यय की अदायगी	94,502.48	102,555.76

19.3.2 संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेषः

(₹ in Hundreds)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
<u>पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होल्डिंग कंपनी</u>			
उधारियों पर देय ब्याज/ऋण पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	8,708.86	7,672.66	6,774.21
ब्याज प्राप्य/प्रोदभूत, परन्तु देय नहीं	610,919.19	419,839.77	226,426.00
Loans given	2,868,689.95	3,256,813.98	3,616,403.44

19.3.3 प्रमुख प्रबंधकर्मियों का मुआवज़ा :

कम्पनी में कर्मचारी होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) के साथ समझौते के अनुरूप अनुबंध शर्तो पर हैं। निदेशकों को किसी सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

19.3.4 कंपनी के सभी काम पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। पीएफसीसीएल द्वारा पीएफसीसीएल कर्मचारियों के कार्मिक व्यय के लिए रुपये 2,73,430.81 सौ (पिछले वर्ष रु.1,74,435.78 सौ) वसूल किए गए, जिसका निर्धारण कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए वास्तविक कार्यदिवसों के अनुपात में पीएफसीसीएल द्वारा पेश की गई इनवाइस के अनुसार कोस्ट टू कंपनी आधार / दर पर किया जाता है, और इसमें श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) के लिए रु शून्य (पिछले वर्ष रु. 2,586.68 सौ), श्री पी.सी. हेम्ब्रम (निदेशक) रु. 43,387.44 सौ (पिछले वर्ष रुपये 25,719.52 सौ), श्री सुबीर मूलचंदानी रु. 1,279.63 सौ (पिछले वर्ष रुपये 3,858.32 सौ) और श्री हेमंत कुमार दास के लिए वसूल किए गए रु. शून्य (पिछले वर्ष 597.84 सौ रुपये) शामिल हैं।

20 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के मुताबिक, कंपनी को बिजली खरीदने वाली संस्थाओं (प्रोक्योरर्स) से रुपये 40,00,000.00 सौ (पिछले वर्ष रु. 40,00,000.00 सौ) प्राप्त हुए हैं, जो उसे खरीदारों और सफल बोलीदाता से संबंद्ध विद्युत खरीद समझौते के माध्यम से परियोजना के पूरा होने पर निर्दिष्ट किए गए विद्युत के आवंटन के लिए उसके योगदान के रूप में मिले। उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन पत्रक में दीर्घकालिक उधार के रूप में दिखाया गया है। कंपनी विद्युत मंत्रालय की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा संख्या 12 के मद्देनजर इस तरह के अग्रिमों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, यूएमपीपी के विकास के बारे में कहा गया है कि; "खरीदार एसपीवी में इक्विटी के रूप में अस्थायी निवेश के लिए प्रतिबद्धता अग्रिम प्रदान करेंगे ताकि वे धन उधार लेने में सक्षम हो सकें। फिर भी, एक विवेकपूर्ण लेखा नीति और कंपनी/ होल्डिंग कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज प्रदान किया गया है। वित्तीय समझौते की शर्तों के अनुसार अर्जित ब्याज के साथ उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम, होल्डिंग कंपनी द्वारा कंपनी को उसके सफल बोलीदाता को हस्तांतरित करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

21 पीएफसी लिमिटेड के साथ हुए वित्त पोषण समझौते के अनुसार खरीददारों से प्राप्त कुल प्रतिबद्धता अग्रिम रुपये 40,00,000.00 सौ (पिछले वर्ष रु. 40,00,000.00 सौ) कंपनी की ओर से परियोजना के लिए व्यय का भुगतान करने और प्रतिबद्धता अग्रिम के शेष हिस्से का निवेश/अनुरक्षण अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में करने के लिए होल्डिंग कंपनी (पीएफसी लिमेटेड) के पास रखें गए हैं। अग्रिम और उस पर देय ब्याज, को तुलन पत्रक में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है।

22 कंपनी पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई सलाहकार और पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस के रूप में पीएफसीएल /पीएफसीसीएलको रुपये 50,00,000.00 सौ और प्रयोज्य करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। सलाहकार और पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क पीएफसीएल/पीएफसीसीएल केवल तभी देय होगा, जब परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन किया जाएगा और कंपनी सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दी जाएगी, इसलिए पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के लिए देय शुल्क के लिए कोई देयता निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ऐसी देयता कंपनी के हस्तांतरण के वर्ष में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण के बाद ही देय होगी।

23 कंपनी, पीएफसी लिमिटेड को, कंपनी की ओर से अपनी निधि से किए गए खर्चों पर और परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किए गए कोष में बंटवारा कर प्रतिबद्धता अग्रिम तथा इस्तेमाल की गई निधि पर खरीददारों को, नियंत्रक कंपनी/कंपनी की नीति के तहत निर्धारित दरों पर ब्याज देती है। निधि के अप्रयुक्त हिस्से पर पीएफसी लिमिटेड से ब्याज लिया जाता है और प्रयुक्त हिस्से पर चयनित बोलीदाता से ब्याज वसूली की जा सकती है जो पहले के अनुबंध के समान शर्तों के आधार पर खरीददारों/पीएफसीएल को देय होती है। निधि के अप्रयुक्त हिस्से पर ब्याज की दर की प्राप्ति/देयता पीएफसी लिमिटेड के अनुरूप होती है जो कि "स्टेट सेक्टर बॉरोअर्स (श्रेणी 'ए') श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं के लिए परियोजना ऋण/योजनाओं (सृजन) के लिए ब्याज दर के अनुरूप समय-समय पर उनके परिपत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है और निधियों के अप्रयुक्त भाग पर, प्राप्त/भुगतान किया गया ब्याज "पीएफसी लिमिटेड की मासिक औसत अल्पावधि जमा दर" पर है। इस वर्ष के लिए कुल ब्याज व्यय 2,83,342.33 सौ रुपये (पिछले वर्ष 2,55,155.01 सौ रुपये) खातों में दर्ज की गई है जिसमें से अप्रयुकत निधि पर 1,91,270.69 सौ रुपये ब्याज (पिछले वर्ष 1,98,336.17 सौ रुपये) और प्रयुक्त भाग पर 92,071.64 सौ रुपये (पिछले वर्ष 56,818.84 सौ रुपये) शामिल हैं । उपयोग किए गए हिस्से पर ब्याज का पूंजीकरण किया गया है।

24 नोट 15 में दिखाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा कंपनी को आवंटित किया गया है। एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% के आधार पर आवंटित किए जाते हैं और सामान्य व्यय विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं के बंटवारे के आधार पर

आवंटित किए जाते हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए इस तरह के खर्च के संबंध में मूल सहायक बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर हैं और उनके द्वारा अनुरक्षित हैं, जिनकी प्रतियां कंपनी के पास उपलब्ध हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन खर्चों पर लागू होने वाले स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

25 वर्ष (नोट 15) के दौरान किए गए अन्य खर्चों को पूंजीकृत किया गया है और चालू पूंजी कार्य के रूप में दिखाया गया है।

26 कर्मचारी लाभ योजनाएं

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए इंड एएस -19 के तहत बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है।

27 प्रतिबद्धताएं :

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
(क) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित मात्रा (अग्रिमों का निवल), और जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया :	1,346,000	1,346,000	1,346,000
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-

28 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
कंपनी की आकस्मिक देनदारियों और कंपनी के खिलाफ दावे, जिन्हें कंपनी द्वारा उस अवधि के लिए प्रबंधन से प्रमाणित नहीं माना गया है	-	-	-
इसके अलावा, कोई आकस्मिक परिसंपत्ति और आकस्मिक लाभ कंपनी के लिए संभावित नहीं हैं।	-	-	-

29 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत बकाया का विवरण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर:

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
(क) मूलधन की राशि और उस पर देय ब्याज, जिसका कि किसी आपूर्तिकर्ता को लेखांकन अवधि के अंत में भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-
(ख) लेखा अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से अधिक किए गए भुगतान की राशि के साथ दी गई ब्याज की राशि	-	-	-
(ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन	-	-	-

से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना			
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत ब्याज और शेष देय राशि	-	-	-
(ड) आगे के वर्षों में देय ब्याज और शेष देय राशि, उस तारीख तक जब तक कि ब्याज की राशि वास्तव में लघु उद्यम को अदा की जाती है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से।	-	-	-

30 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षकों को *	413.00	413.00

*

जीएसटी

सहित

31 खंड जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल, जिसे मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीईएम) के रूप में पहचाना गया है, कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है, कंपनी के विभिन्न निष्पादन संकेतकों के आंकलन के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कंपनी को मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के उददेश्य से निगमित किया गया है और वर्तमान में वह बिजली संयंत्र की स्थापना में लगी हुई है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य कार्य पर केंद्रित हैं। इसके अलावा कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं क्योंकि कंपनी का संपूर्ण कार्य संचालन भारत में होता है । इसलिए, इंड एएस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के लिए कोई अलग से रिपोर्टेबल खंड नहीं है।

अन्य प्रकटीकरण:

32

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय- शून्य

(ख) विदेशी मुद्रा में आय- शून्य

33 इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर, कंपनी ने सीडब्ल्यूआईपी के मूल्य को पिछले जीएएपी के अनुसार इंड एएस 101 के अनुरूप मूल्य के अनुसार माना है।

34 कंपनी ने 31मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष तक अपना वित्तीय विवरण पिछले जीएएपी के अनुसार तैयार किया, जिसमें कंपनी लेखा नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक (एएस) शामिल हैं। वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि के आंकड़े उसी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए हैं।

35 **पहली बार इंड एएस अंगीकरण समायोजन : -**

35.1 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को बैलेंस शीट पर इंड एएस अंगीकरण का प्रभाव: -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	**1 अप्रैल , 2017 को**			**31 मार्च, 2018 को**		
	पूर्ववर्ती जीएएपी	**समायोजन**	**इंड ए एस**	**पूर्ववर्ती जीएएपी**	**समायोजन**	**इंड ए एस**
परिसंपत्तियां						
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां						
(क) पूंजी कार्य प्रगति पर	476,133.79	-	476,133.79	810,357.17	-	810,357.17
(ख) वितीय परिसंपत्तियां			-			-

(i) ऋण	3,842,829.44	-	3,842,829.44	3,676,653.75	-	3,676,653.75
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	4,318,963.23	-	4,318,963.23	4,487,010.92	-	4,487,010.92
वर्तमान परिसंपत्तियां						
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समकक्ष	7,001.90	-	7,001.90	763.50	-	763.50
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	183.85		183.85	4,920.28		4,920.28
(ग) अन्य वर्तमान						

परिसंपत्तियां	-	-	-	63,507.68	-	63,507.68
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	7,185.75	-	7,185.75	69,191.46	-	69,191.46
कुल परिसंपत्तियां	**4,326,148.98**	**-**	**4,326,148.98**	**4,556,202.38**	**-**	**4,556,202.38**
इक्विटी और देयताएं						
इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	(281.39)	-	(281.39)	(275.23)	-	(275.23)
कुल इक्विटी	4,718.61	-	4,718.61	4,724.77	-	4,724.77
देयताएं						
गैर वर्तमान						

देयताएं						
क) वित्तीय देयताएं						
(i) उधारी	4,246,205.98	-	4,246,205.98	4,475,935.34	-	4,475,935.34
कुल गैर वर्तमान देयताएं	4,246,205.98	-	4,246,205.98	4,475,935.34	-	4,475,935.34
वर्तमान देयताएं						
क) वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	50,775.03	-	50,775.03	45,059.83	-	45,059.83
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	24,449.63	-	24,449.63	30,482.44	-	30,482.44
कुल वर्तमान देयताएं	75,224.66	-	75,224.66	75,542.27	-	75,542.27

कुल इक्विटी और देयताएं	**4,326,149.25**	**-**	**4,326,149.25**	**4,556,202.38**	**-**	**4,556,202.38**

35.2 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर इंड एएस को अपनाने का प्रभाव: -

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण	**पूर्वर्ती जीएएपी**	**समायोजन**	**इंड ए एस**
कार्य संचालन से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	8.30	-	8.30
कुल राजस्व (I)	**8.30**	**-**	**8.30**
व्यय			
अन्य व्यय	-	-	-
कुल व्यय (II)	**-**	**-**	**-**

कर से पहले लाभ/(हानि) (I-II)	**8.30**	**-**	**8.30**
कर व्यय			
(1) मौजूदा कर	2.14	-	2.14
(2) स्थगित कर	-	-	-
कुल कर व्यय	**2.14**	**-**	**2.14**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**6.16**	**-**	**6.16**

35.3 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को अन्य इक्विटी पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव:

		(रुपये सैकड़ों में)
विवरण	**31 मार्च,**	**1 अप्रैल, 2017 को**

	2018 को	
भारतीय जीएएपी के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अन्य इक्विटी	(275.23)	(281.39)
इड-एस समायोजन:	**-**	**-**
अन्य समायोजन:	**-**	**-**
इक्विटी पर कुल प्रभाव	**-**	**-**
इंड एएस के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अन्य इक्विटी	**(275.23)**	**(281.39)**

35.4 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव:

(रुपये सैकड़ों में)

विवरण *	**पूर्वर्ती जीएए**	**समायोजन**	**इंड ए एस**

पी

प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	(67,920.34)	-	(67,920.34)
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	(168,047.69)	-	(168,047.69)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	229,729.36	-	229,729.36
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोतरी/कमी	**(6,238.67)**	**-**	**(6,238.67)**
जोड़े : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	7,001.90	-	7,001.90
वर्ष के अंत में नकदी और	763.23	-	763.23

नकदी
समतुल्य

* वर्ष के दौरान आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत किया गया

वित्तीय
36 **विवरणों**
का
अनुमोदन

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्‌वारा मंज़ूरी दी गई और 20.05.2019 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(पूर्ण चन्द्र हेम्ब्राम)	**(शैली वर्मा)**	**(नवीन भूषण गुप्ता)**
निदेशक	**निदेशक**	**निदेशक**
DIN:02750881	**DIN:07935630**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं उनकी ओर से

ओ पी दादू एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 001201N)

(अमित गुप्ता)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 094202

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 20.05.2019